न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 701/2022

अनवान : –

1. सन्दीप कुमार पुत्र महेन्द्र जाति जाट निवासी लाखासर तहसील नोहर।

– वादी

बनाम्

1. नत्थुराम उर्फ नत्थु पुत्र रावताराम उर्फ रावता जाति जाट निवासी लाखासर तहसील नोहर।
2. महेन्द्र पुत्र नत्थुराम जाति जाट निवासी लाखासर तहसील नोहर।
3. सुलतान पुत्र नत्थुराम जाति जाट निवासी लाखासर तहसील नोहर।
4. हनुमान पुत्र नत्थुराम जाति जाट निवासी लाखासर तहसील नोहर।
5. कौशल्या पुत्री नत्थुराम पत्नी रोहताश ज्याणी जाति जाट निवासी कालवाना तहसील डबवाली।
6. सन्तोष पुत्री नत्थुराम पत्नी आत्माराम जाति जाट निवासी गुडिया खेड़ा तहसील सिरसा।
7. प्रदीप पुत्र महेन्द्र जाति जाट निवासी लाखासर तहसील नोहर।
8. पुजा पुत्री महेन्द्र जाति जाट निवासी लाखासर तहसील नोहर।
9. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।
10. उप पंजीयक नोहर तहसील नोहर।

– प्रतिवादीगण

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88–89
राजस्थान काश्त0 अधि0 1955

उपस्थिति :– श्री रविन्द्र गोदारा अधिवक्ता **वादी**
श्री मदन मोहन जोशी अधिवक्ता **प्रतिवादीगण**

निर्णय दिनांकः -10/12/2024

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया है कि रोही मौजा लाखासर तहसील नोहर के खाता स0 124/120 की कुल 6.5000 हैक्ट भूमि व रोही मौजा ललानिया तहसील नोहर के खाता स0 63/54 की कुल 3.3650 हैक्ट भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

उक्त वाद भूमि वादी की दादालाई खातेदारी कृषि भूमि है जिसमें वादी का जन्मजात हक हिस्सा है प्रतिवादी संख्या 1 कर्ता हिन्दु खानदान होने के कारण वाद भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के अकेले के नाम दर्ज हो गई उक्त वाद भूमि में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 8 का प्रतिवादी संख्या 1 के साथ जन्म जात हक हिस्सा है। उक्त वाद भूमि में वादी व प्रतिवादी संख्या 2 व प्रतिवादी संख्या 7 ता का बहैस 1/6 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 1 व प्रतिवादी संख्या 3 ता

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.12.18 15:49:09 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

6 प्रत्येक का 1/6 हिस्सा भूमि के खातेदार काश्तकार है। जिसकी वादी न्यायालय से घोषणा करवा पाने का अधिकारी है। यही बिनाय दावा है।

वादी ने प्रतिवादी स0 1 को कई दफा कहा कि वादी के हक व हिस्सा की भूमि को उनके नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिन तक आजकल आजकल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावें की वादी के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने बाहमी बंटवारे के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के बाद प्रतिवादी सं0 1 व 4 ता 6 ने जरिये अधिवक्ता जवाब दावा इस आशय का पेश किया की रोही मौजा लाखासर की वाद भूमि पैतृक है लेकिन रोही मौजा ललानिया की वाद भूमि प्रतिवादी संख्या 1 को अलॉट हुई है इसलिए प्रतिवादी की स्वयं की पैदाकर्ता है रोही मौजा लाखासर की वाद भूमि में वादी व प्रतिवादीगण का हक हिस्सा है लेकिन रोही मौजाा ललानिया की वाद भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 स्वयं के जीवनकाल में किसी का कोई हक हिस्सा नही है। उक्त वाद भूमि से संबंधित दावा अनवानी कौशल्या बनाम नत्थुराम न्यायालय हाजा में जैरकार है जिसमें प्रतिवादी संख्या 1, 4 व 6 द्वारा इकबाल पेश किया जा चुका है। अतः वाद वादी आंशिक स्वीकार फरमावे। अधिवक्ता वादी व प्रतिवादीगण ने निवेदन किया की साक्ष्य नही करवाना चाहते है। बहस सुनी जावे।

बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी व प्रतिवादीगण ने निवेदन किया की रोही मौजा लाखासर की वाद भूमि जो की पैतृक है उसमें वादी व प्रतिवादीगण को जो भी हक हिस्सा है उसी के अनुसार डिक्री किया जावे तथा रोही मौजा ललानिया की वाद भूमि जो की प्रतिवादी संख्या 1 की स्वयं अर्जित है उसे प्रतिवादी संख्या 1 के नाम यथावत रखा जावे।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। वाद में प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा लाखासर तहसील नोहर के खाता स0 124/120 की कुल 6.5000 हैक्ट भूमि व रोही मौजा ललानिया तहसील नोहर के खाता स0 63/54 की कुल 3.3650 हैक्ट भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है।। वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों से रोही मौजा लाखासर की वाद भूमि पैतृक भूमि होना साबित है तथा रोही मौजाा ललानिया की वाद भूमि प्रतिवादी संख्या 1 की स्वयं अर्जित भूमि होना सबित है। अतः वाद वादी आंशिक साबित होने के कारण आंशिक स्वीकार योग्य है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.12.18 15:49:09 IST
Reason: SelfAttested

अतः वाद वादी साक्ष्य सबूती [illegible] पर आंशिक साबित होने के कारण वाद वादी आंशिक डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा लाखासर तहसील

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

नोहर के खाता स0 124/120 की कुल 6.5000 हैक्ट भूमि में वादी व प्रतिवादी संख्या 2 व प्रतिवादी संख्या 7 व 8 को संयुक्त रूप से 1/6 हिस्सा भूमि का व प्रतिवादी संख्या 1 व प्रतिवादी संख्या 3 ता 6 प्रत्येक को 1/6 हिस्सा भूमि के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 10/12/2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.12.18 15:49:09 IST
Reason: SelfAttested

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**
प्रकरण संख्या – 701/2022
अनवान : –

1. सन्दीप कुमार पुत्र महेन्द्र जाति जाट निवासी लाखासर तहसील नोहर।

– वादी

बनाम्

1. नत्थुराम उर्फ नत्थु पुत्र रावताराम उर्फ रावता जाति जाट निवासी लाखासर तहसील नोहर।
2. महेन्द्र पुत्र नत्थुराम जाति जाट निवासी लाखासर तहसील नोहर।
3. सुलतान पुत्र नत्थुराम जाति जाट निवासी लाखासर तहसील नोहर।
4. हनुमान पुत्र नत्थुराम जाति जाट निवासी लाखासर तहसील नोहर।
5. कौशल्या पुत्री नत्थुराम पत्नी रोहताश ज्याणी जाति जाट निवासी कालवाना तहसील डबवाली।
6. सन्तोष पुत्री नत्थुराम पत्नी आत्माराम जाति जाट निवासी गुडिया खेड़ा तहसील सिरसा।
7. प्रदीप पुत्र महेन्द्र जाति जाट निवासी लाखासर तहसील नोहर।
8. पुजा पुत्री महेन्द्र जाति जाट निवासी लाखासर तहसील नोहर।
9. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।
10. उप पंजीयक नोहर तहसील नोहर।

– प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
राजस्व वाद संख्या 701 सन 2022 निर्णय दिनांक –10/12/2024

आज यह वाद मुझ पंकज गढ़वाल उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष वकील वादी श्री रविन्द्र गोदारा एवं वकील प्रतिवादीगण श्री मदन मोहन जोशी की उपस्थिति में निर्णयार्थ/अंतिम निपटारे हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों के आधार पर आंशिक साबित होने के कारण वाद वादी आंशिक डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा लाखासर तहसील नोहर के खाता स0 124/120 की कुल 6.5000 हैक्ट भूमि में वादी व प्रतिवादी संख्या 2 व प्रतिवादी संख्या 7 व 8 को संयुक्त रूप से 1/6 हिस्सा भूमि का व प्रतिवादी संख्या 1 व प्रतिवादी संख्या 3 ता 6 प्रत्येक को 1/6 हिस्सा भूमि के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 10/12/2024 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.12.18 15:49:09 IST
Reason: SelfAttested

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर